

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर  
बड़जलास- पीयूष समारिया, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या -166/2022  
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर - 2022/190

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोंडेन्ट
मेहराम पुत्र प्रभुराम जाति जाट निवासी भाकरोद तहसील व जिला नागौर		तहसीलदार नागौर

उपस्थिति:-

1. अपीलान्त की ओर से वकील श्री भंवरलाल चौधरी।
2. रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

निर्णय

दिनांक 10-08-2022

अपीलान्त द्वारा यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण संख्या 49/2021 सरकार बनाम मेहराम में पारित निर्णय दिनांक 13.04.2022 से असंतुष्ट होकर दिनांक 19.05.2022 को प्रस्तुत की गई। अपीलान्त की अपील ताबेउज्र मियाद दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलान्त ने अपील के साथ मियाद प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम मय शपथ-पत्र पेश किया है। वकील अपीलान्त ने मियाद के बिन्दु पर बहस में कथन किया कि यह है कि दिनांक 25.03.2022 के पश्चात अपीलांत को अधीनस्थ न्यायालय ने कोई आगामी तारीख नहीं बताई तथा यह कहा गया कि पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक की मौका व नाम चौक रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही आगामी तारीख नियत करके अग्रिम कार्यवाही की जावेगी, मगर पटवारी हल्का व भू अभिलेख की रिपोर्ट प्राप्त किए बिना ही दिनांक 14.03.2022 को पत्रावली फैसल शुमार कर दी फैसल शुमार करने का आदेश पारित करना दर्शाया व 13.04.2022 की तारीख में निर्णय पारित करना प्रकट होता है। इस प्रकार अपीलांत को बिना तारिख पेशी बताये ही निर्णय कर दिया जिसकी प्रथम जानकारी भू अभिलेख निरीक्षक भाकरोद के द्वारा दिनांक 15.05.2022 को बेदखली के आदेश की जानकारी देने पर हुई तब अपीलांत नागौर आया व समस्त नकलें प्राप्त करके अपील पेश की है, जो जानकारी के दिवस के अन्दर मयाद होने का कथन करते हुए अपीलान्त की अपील मियाद शुमार करने का निवेदन किया। राजपैरोकार ने अपील मयाद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलान्त द्वारा मयाद प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अपीलान्त के कथनों पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत मयाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील पर वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्त ने बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का भाकरोद ने अपीलांत के खसरा नम्बर 866 मौजा भाकरोद के रकबा 0.1618 हेक्टर भूमि पर अतिक्रमण होने की रिपोर्ट अपीलांत के विरुद्ध पेश की जिस पर रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अपीलांत को जरिये नोटिस तलब किया उक्त नोटिस के जवाब में दिनांक 21.10.2021 को जवाब पेश करते हुए निवेदन किया कि खेत खसरा नम्बर 1625/594, 595 व 594/1653 अपीलांत के खातेदारी व कब्जे के हैं तथा उक्त खेतों के पूर्व व उत्तर में पुरानी कच्चे पथरों की दिवार बनी हुई है तथा उसके है पश्चात खसरा नम्बर 866 की भूमि है, अपीलांत का खसरा नम्बर



कलक्टर, नागौर

866 बारानी दायम की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है और अतिक्रमण के इस आरोप की जांच के लिए अपीलांट की मौजूदगी में नाप करवाया जावे तब रेस्पोंडेंट संख्या 1 नागौर ने दिनांक 11.01.2021 को पुनः नाप करने का आदेश पारित किया और उस आदेश की पालना में दिनांक 13.01.2022 को भू अभिलेख निरीक्षक भाकरोद पटवारी बरणगांव व पटवारी भाकरोद की टीम गठित करके उक्त टीम से दिनांक 28.01.2022 तक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये मगर उक्त टीम ने मौके पर जाकर कोई नाप चौक नहीं किया और ना ही कोई रिपोर्ट पेश की तत्पश्चात पुनः दिनांक 15.02.2022 को भू अभिलेख निरीक्षक हरिराम व पटवारी ओमप्रकाश की टीम गठित की मगर उक्त टीम ने भी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की इस प्रकार रेस्पोंडेंट संख्या 1 स्वयं के आदेशों की पालना नहीं कि गई फिर भी अपीलांट व उसके अधिवक्ता की गैर मौजूदगी में दिनांक 14.03.2022 को अपीलांट के विरुद्ध बेदखली व जुर्माना का निर्णय पारित करने का अंकन आदेशिका में दिनांक 14.03.2022 में किया गया है जबकि उसके पश्चात दिनांक 25.03.2022 को आदेशिका में 13.04.2022 को निर्णय पारित करने का उल्लेख किया गया है इससे प्रकट होता है कि तहसीलदार नागौर ने निर्णय जैर पारित करने के पूर्व न तो अपने पूर्व आदेशों पर विचार किया और न ही नियमानुसार आदेशिकाएं लिखी गई हैं इसलिए निर्णय जैर अपील सरसरी तौर पर ही अवैध व शून्य होना प्रकट होता है।

पटवारी हल्का कि अतिक्रमण की रिपोर्ट दिनांक 31.08.2021 के अवलोकन में स्पष्ट होता है कि उसने अपीलांट के खातेदारी के खेतों व पड़ोस के सरकारी खसरा नम्बर 866 का नाप किए बिना ही मिथ्या अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है। पटवारी हल्क की अतिक्रमण की रिपोर्ट पर अतिक्रमण की गई भूमि की लम्बाई चौड़ाई का उल्लेख नहीं है और न ही किस तरफ व कहां पर अतिक्रमण किया है इसका कोई नक्शा ही बनाया गया है इससे प्रकट होता है कि पटवारी हल्का की अतिक्रमण की रिपोर्ट मिथ्या है और अपीलांट का यह कथन सही है कि उसका कोई अतिक्रमण खसरा नम्बर 866 की भूमि पर नहीं है इसलिए पुनः नाप किया जावे। रेस्पोंडेंट संख्या 1 का यह कर्तव्य था कि अपने आदेश दिनांक 11.01.2022 व 15.02.2022 की पालना करवाने के पश्चात ही इस प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित किया जाता। इसलिए रेस्पोंडेंट संख्या 1 द्वारा पारित निर्णय जैर अपील मौके की वास्तविक स्थिति विधि के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य होने का कथन करत हुए अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर मुकदमा नम्बर 49/2021 में तहसीलदार नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.04.2022 को निरस्त करने का निवेदन किया है।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुए बहस में कथन किया कि ग्राम भाकरोद के खसरा नम्बर 866 रकबा 0.1618 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन अंगोर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा पत्थर की कच्ची दीवार बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को नोटिस जारी किया। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौजा भाकरोद के खसरा नम्बर 866, 599, 596, 594 का सीमाज्ञान हेतु आदेश दिनांक 13.01.22 से टीम का गठन किया, जिसके क्रम में भू-अभिलेख निरीक्षक भाकरोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्रांक-121 दिनांक 25.01.22 के अनुसार कार्यालय हाजा (तहसीलदार नागौर) के आदेश क्रमांक-भू.अ./2021/3464 दिनांक 19.07.2021 द्वारा दो भू-अभिलेख निरीक्षक व दो पटवारियों की टीम गठित कर उक्त खसरा नम्बर 866, 599, 596 व 594 का सीमाज्ञान करने के आदेश जारी हुए। उक्त आदेश की पालना में टीम द्वारा दिनांक 20.07.2021 को उक्त खसरों का सीमाज्ञान कर अतिक्रमण चिह्नित किये गये और उसके अनुसार ही धारा 91 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त खसरों का पूर्व में तत्कालीन तहसीलदार श्री सुभाषचन्द्र चौधरी द्वारा भी मौका निरीक्षण किया जा चुका है। अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण स्वीकार नहीं कर प्रकरण को लम्बित किया जाना अधिनस्थ न्यायालय को अवगत करवाया है। इसके अलावा निरीक्षक (भू-अभिलेख) अलाय द्वारा भी दिनांक 23.03.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि का पूर्व में दिनांक 20.07.2021 को दो आई.एल.आर. व दो पटवारियान की टीम द्वारा सीमाज्ञान कर अतिक्रमण चिह्नित किया जाना एवं तहसीलदार नागौर द्वारा भी प्रश्नगत



कलक्टर, नागौर

भूमि का निरीक्षण किया जाना अवगत करवाया गया है। ऐसी स्थिति में पुनः सीमाज्ञान का कोई औचित्य नहीं रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधि सम्मत होने का कथन करते हुए राजपैरोकार ने अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकूलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम भाकरोद के खसरा नम्बर 866 रकबा 0.1618 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन अंगोर भूमि पर अपीलान्त द्वारा पत्थर की कच्ची दीवार बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक भाकरोद से सत्यापित रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर द्वारा धारा 91 आर.एल.आर.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलान्त को नोटिस जारी किया। अपीलान्त द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जबाब प्रस्तुत किया। तत्श्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौजा भाकरोद के खसरा नम्बर 866, 599, 596, 594 का सीमाज्ञान हेतु आदेश दिनांक 13.01.22 से टीम का गठन किया, जिसके क्रम में भू-अभिलेख निरीक्षक भाकरोद द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पत्रांक-121 दिनांक 25.01.22 के अनुसार कार्यालय हाजा (तहसीलदार नागौर) के आदेश क्रमांक-भू.अ./2021/3464 दिनांक 19.07.2021 द्वारा दो भू-अभिलेख निरीक्षक व दो पटवारियों की टीम गठित कर उक्त खसरा नम्बर 866, 599, 596 व 594 का सीमाज्ञान करने के आदेश जारी हुए। उक्त आदेश की पालना में टीम द्वारा दिनांक 20.07.2021 को उक्त खसरों का सीमाज्ञान कर अतिक्रमण चिह्नित किये गये और उसके अनुसार ही धारा 91 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त खसरों का पूर्व में तत्कालीन तहसीलदार श्री सुभाषचन्द चौधरी द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया है। अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण स्वीकार नहीं कर प्रकरण को लम्बित किया जाना अधिनस्थ न्यायालय को अवगत करवाया है। इसके अतिरिक्त निरीक्षक (भू-अभिलेख) अलाय द्वारा भी दिनांक 23.03.2022 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रश्नगत भूमि का पूर्व में दिनांक 20.07.2021 को दो आई.एल.आर. व दो पटवारियान की टीम द्वारा सीमाज्ञान कर अतिक्रमण चिह्नित किया जाना एवं पूर्व तहसीलदार नागौर द्वारा भी प्रश्नगत भूमि का निरीक्षण किया जाना अवगत करवाया गया है। इस प्रकार अपीलान्त का विवादित भूमि पर अतिक्रमण साबित होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नागौर के निर्णय जैर अपील की पुष्टि की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड लौटाते हुए निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। निर्णय सुनाया गया।



(पी.कुषुमासुंदर)  
जिला कलक्टर, नागौर  
कलक्टर, नागौर